मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र.6340/ वित्त एवं लेखा/एनआर–4/NREGS-M.P./2010 भोपाल, दिनांक 26/06/10

प्रति,

1. कलेक्टर/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
   मध्यप्रदेश, जिला समस्त

विषयः– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. के प्रशासनिक व्यय के संबंध में अनुदेश।

—0—

विषयांतर्गत वित्त वर्ष 2010–11 के लिए स्कीम से संबंधित प्रशासनिक व्यय की सीमाएं एवं निर्देशों को म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् द्वारा आपको पूर्व में सूचित किया गया है। इससे आप भलीभांति अवगत भी हैं।

इसी परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि परिषद् द्वारा निर्धारित प्रशासनिक व्यय की सीमाओं एवं निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये। प्रशासनिक व्यय के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रक्रियाओं के पालन के उपरांत कार्यवाही की जानी है। इसी के साथ व्यय से संबंधी अभिलेख स्पष्ट रूप से संधारित करवाये। यह भी लेख है अन्य किसी भी योजना के लिए इस राशि का व्यपवर्तन (Diversion) न करें।

आप सहमत होंगे कि प्रशासनिक व्यय पर नियंत्रण आवश्यक है ताकि भविष्य में आडिट आपत्तियों एवं गंभीर प्रकार की विसंगतियों से बचा जा सके, अतः तदानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र.6341/ वित्त एवं लेखा/एनआर–4/NREGS-M.P./2010 भोपाल, दिनांक 26/06/10

प्रतिलिपिः–

1. समस्त संभगायुक्त की ओर सूचनार्थ।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग